E-ISSN: 2664-603X
P-ISSN: 2664-6021
IJPSG 2021; 3(2): 145-148
www.journalofpoliticalscience.com
Received: 06-05-2021
Accepted: 13-06-2021

डॉ. दिनेश कुमार
वरिष्ठ अध्यापक, रा. उ. मा. वि., खिलौरा, रामगढ, अलवर, राजस्थान, भारत

Corresponding Author:
डॉ. दिनेश कुमार
वरिष्ठ अध्यापक, रा. उ. मा. वि., खिलौरा, रामगढ, अलवर, राजस्थान, भारत

सामाजिक परिवर्तन के यंत्र के रूप में हमारा नागरिक समाज

डॉ. दिनेश कुमार

सारांश
सामाजिक परिवर्तन लोगों के जीवन प्रारूप में बदलाव को इंगित करता है। भारतीय समाज की आध्यात्मिक तकनीक से सामाजिक प्रारूप में परिवर्तन पर विशेष प्रभाव पड़ा है। सामाजिक परिवर्तन प्रवाह, उच्चावचों, आवर्ती तथा रेखीय सभी रूपों में होती है। परिवर्तन की प्रकृति मौलिक व प्रतिरोध पर आधारित होती है। सामाजिक परिवर्तन तीन स्तर पर होता है– लोगों के वैचारिक ढांचे में परिवर्तन, लोगों के जीवन में परिवर्तन तथा जीवन के विभिन्न संबंधों में परिवर्तन। नागरिक समाज द्वारा सामाजिक परिवर्तन का मूल उद्देश्य असमानता को हटाना और न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। लोकतंत्र को बनाने व मजबूत करने में नागरिक समाज की अहूम् भूमिका है। नागरिक समाज ने भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने का कार्य किया है।

मूल शब्दः सामाजिक परिवर्तनन, नागरिक समाज, सामाजिक आन्दोलन, सामाजिक संगठन, गैर सरकारी संगठन।

प्रस्तावना
जैसे एक दिन कभी दूसरा नहीं रहता, यद्यपि सूरज रोज उगता है व रोज अस्त होता है। जैसे कोई भी बसंत ऋतु कभी भी दूसरी के समान नहीं होती है। हालांकि हर साल ऋतुएँ उसी क्रम में आती हैं। दूसरो के लिए व्यक्ति शारीरिक या मानसिक घटक के रूप में होता है समाज के सदस्य के रूप में नहीं।
इसलिए परिवर्तन, सामाजिक प्रक्रिया का मूल घटक है। एक समाज कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। यह आर्थिक, वैज्ञानिक एवम् तकनीकि विकास के साथ निरन्तर चलायमान है। अपने उद्भव के साथ ही मानव समाज अर्मत्य है। हालांकि यह प्रारम्भ से ही परिवर्तनीय रहा है तथा वर्तमान समय तो इन परिवर्तनों के लिए ही जाना जाता है।

सामाजिक परिवर्तनों के अर्थ–
सामाजिक परिवर्तनों की प्रक्रिया सतत है। मैक्ल्वर कहते हैं कि हजारों सालों से मानव समाज में वृहद् बदलाव होते रहे है तथा ये बदलाव हमारी कल्पना से भी परे हैं। लंडबेंग सामाजिक परिवर्तन को 'अर्न्तमानव व्यवहार के स्थापित प्रारूप में सुधार' के रूप में परिभाषित करते है। एंडरसन व पार्कर के अनुसार सामाजिक रूप या प्रक्रियाओं की प्रणाली के ढांचे को बदल देना ही सामाजिक परिवर्तन है।
गिन्सबर्ग लिखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक ढांचे में बदलाव है अर्थात् समाज का आकार, गठन व इसके अंगों में सामञ्जस्य या इसके संगठन के प्रकार। इसी प्रकार कहा जा सकता है कि सामाजिक परिवर्तन बदलाव को इंगित करता है जो लोगों के जीवन प्रारूप से संबंधित है। भारतीय समाज शताब्दियों से वृदह परिवर्तनों से गुजरा है। वर्तमान में, विचारों की उत्पत्ति एवम् परिवर्तन वैयक्तिक क्रियाओं एवम् सामाजिक व्यवहारों दोनों का परिणाम है। भारतीय समाज की एक उत्कृष्ट विशेषता इसकी आध्यात्मिक तकनीक है जो निर्विवाद रूप से सामाजिक नियमों एवम् नैतिक मापदंडों से गुंथी हुई है। यह तकनीक वेदों, उपनिषदों आदि के महान् संतो के साथ ही हमारे महान् आध्यात्मिक ग्रन्थों जैसे बुद्ध, शंकराचार्य, महावीर जैन, नानक रामकृष्ण, विवेकानन्द व महान् सामाजिक सुधारकों में भी पाई जाती है, जिसका हमारे सामाजिक प्रारूप में परिवर्तनों पर विशेष प्रभाव पड़ा है।
सामाजिक परिवर्तन एक इस प्रकार का बदलाव है जिसका प्रभाव समाज के सामाजिक संगठन की कार्यप्रणाली एवम् ढांचे पर पड़ता है। फलतः वे संस्कृति परिवर्तन नामक एक व्यापक श्रेणी का केवल एक हिस्सा बनाते हैं। ये सामाजिक परिवर्तन, संस्कृति की प्रत्येक शाखा में समाविष्ट होते है जैसे कला, विज्ञान, तकनीक, दर्शन आदि। में परिवर्तन सामाजिक संगठन के प्रारूप एवम् नियमों में भी होते हैं। जहाँ तक सामाजिक परिवर्तन की दिशा की बात है, इसके रो मत हैं।

एक आवर्ती दूसरा रेखीय। साथ ही, सभी सामाजिक परिवर्तनों को जानना कठिन हैं यद्यपि हमारे पास यह जानने के पर्याप्त आँकड़ें हैं कि लाखों सालों के इतिहास में से हम कुछ हजारों सालों के मानव इतिहास में हुए परिवर्तनों को जान सकें। तो भी भूत या भविष्य के परिवर्तनों के तरीकों के साथ डटे रहना हमारे अनुभव जनित ज्ञान से परे की बात है। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन की चरम प्रकृति का प्रश्न, एक दार्शनिक पहेली बन जाता है जिसका सामाजिक विज्ञानों में कोई स्थान नहीं है। जब हम अपने आपको केवल ज्ञान तक ही सीमित बना लेते हैं तब हम परिवर्तन को समय के पटल पर आधारित पाते हैं जहाँ हम परिवर्तनों को प्रवाह एवम् उच्चावचनों तथा आवर्ती एवम् रेखीय सभी रूपों में इसे पाते है।

एक प्रमुख समस्या की ओर समाजशास्त्रियों ने ध्यान खींचा है वह है सामाजिक परिवर्तनों का वर्गीकरण करना। इस सन्दर्भ में मक्लेवर ने सामाजिक परिवर्तनों को जैविक, तकनीकीय और सांस्कृतिक रूप में देखा है। अब प्रश्न यह है कि क्या इन तथ्यों पर वर्गीकरण करने की योजना पर विचार किया जाना चाहिए? इसलिए, यदि हम इसका पालन करते हैं तो हमारे पास वर्गीकृत परिवर्तनों की एक श्रृंखला होगी जो सामाजिक परिवर्तनों में अनौपचारिक तत्वों की महत्ता पर निर्भर होगा। सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति पर आधारित, हम दो प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं। पहले प्रकार में हम मौलिक व प्रतिरोध के कारणों से होने वाले परिवर्तन रख सकते हैं जैसे कि क्रांतिया व आकस्मिक व अनियमित परिवर्तन। प्रलय जैसे कि बाढ़ या दूसरी ताकते जो सामाजिक संगठन के ढांचे व कार्यप्रणाली में असमानता व असामञ्जस्य लाती हैं। ये परिवर्तन अनियोजित परिवर्तन कहलाते हैं। इसमें धीमी गति से होने वाले परिवर्तन भी शामिल हैं। दूसरे वर्गीकरण में, हम उन परिवर्तनों को शामिल करते हैं जो सतत प्रयासों एवम् उद्देश्यपूर्ण निर्णयों द्वारा सामाजिक परिवर्तनों से सुधारों को प्रभावित करते हैं।

सामाजिक परिवर्तनों के घटक–

इस सन्दर्भ में हम कह सकते हैं कि आदि समाज की तुलना में आधुनिक समाज परिवर्तन हेतु अधिक तैयार रहते हैं। इसके घटक हैं–

1. जैविक तत्त्व–

पीढ़ियों से सदैव विवाद रहा है। अपने पूर्वजों के सामाजिक जीवन को कोई भी नई पीढ़ी पुनः अधिरोपित नहीं करती है। युवा पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी की आलोचक रही है, उनके कुछ सामाजिक जीवन के पक्षों का बहिष्कार करती है तथा नई पहल करती है। हमेशा से ही नए प्रारूप की गुंजाइश करती है।

2. जनसांख्यकीय घटक–

आकार एवम् गठन में जनसंख्या में परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तनों का एक महत्वपूर्ण घटक रहा है। बढ़ती जनसंख्या सामाजिक ढांचे व गठन में परिवर्तनों के साथ ही जीवन स्तर में भी कई परिवर्तन लाती है।

3. तकनीकी घटक–

तकनीकी विकास भी तीव्र परिवर्तनों में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इससे लोगों के दृष्टिकोण, विश्वास व परम्पराओं में अनेक परिवर्तन आते हैं।

4. प्राकृतिक घटक–

यद्यपि हम यह दावा करते हैं कि तीव्र विकास की प्रक्रिया में मनुष्य ने प्रकृति के ऊपर नियंत्रण कर लिया है परन्तु पूर्ण नियंत्रण कदापि संभव नहीं है। क्योंकि हम मौसम को नियमित करने का दावा नहीं कर सकते जो हमारी सोचने की प्रक्रिया, परम्पराओं, रिवाजों व खाद्य आदतों को अत्यधिक प्रभावित करता है।

5. विधायिका–

कानून गतिक है। यह व्यवहारों, विश्वासों व मूल्यों को प्रभावित करते हुए सामाजिक परिवर्तन लाता है। भारत में संसद, विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तनों हेतु कदम उठाती है।

6. मनोवैज्ञानिक घटक–

मनुष्य स्वभाव से ही परिवर्तन चाहता है। वह एक ही वातावरण, समान रिवाजों, समान परम्पराओं–सांस्कृतिक मूल्यों से बंधा नहीं रहना चाहता। वह अपने पूर्वजों की भाँति उसी तरीके से जीना नहीं चाहता। वे सदैव आविष्कारों एवम् परिवर्तनों का स्वागत करते हैं।

7. योजना–

भारत में हम पाते हैं कि हमारे संविधान का निर्माण सामाजिक समानता व सामाजिक न्याय की मूल अवधारणा के साथ किया गया। इसलिए संविधान के उपबंधनों के अनुसार ही हमारी विविध योजनाओं का उद्देश्य आय व धन की असमानताओं को कम करना, धन व अवसर एक ही हाथों में केन्द्रित न हो।

इस प्रकार इस सामाजिक परिवर्तन के तीन स्तर थे–

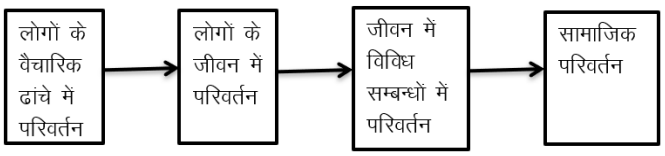

ये सभी परिवर्तन एक साथ लाए जाने चाहिए। तथा हमारे विचारों, जीवन व जीवन की संस्थाओं में क्रांतिकारी बदलाव होने चाहिए। सत्य के आधार पर लोगों को क्रियात्मक सोचने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। नागरिक समाजों द्वारा सामाजिक परिवर्तन का मूल उद्देश्य किसी भी प्रकार की असमानता को हटाना तथा न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए।

3 अप्रैल 2011 के बाद जब जनता क्रिकेट टीम की खुशी मना रही थी तब लोग एक अलग ही खुशी का इंतजार कर रहे थे। हमने देखा कि 'भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन को अभूतपूर्व समर्थन मिला जिसका नेतृत्व अन्ना हजारे के साथ–साथ केजरीवाल, अग्निवेश, किरणबेदी आदि कर रहे थे।

उन्होंने यह सिद्ध करके दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय नागरिक उसी जोश व जुनून के साथ विरोध करने हेतु भी खड़े हो सकते हैं जिस जोश व जुनून के साथ विश्व कप जीतने पर वे भारतीय क्रिकेट टीम के साथ खड़े थे। इससे लोगों के सामने कार्यकर्ताओं, बुद्धिवेत्ताओं व शिक्षाविदों का एक समूह आया। हाल ही में बाबा रामदेव ने भी सामाजिक जीवन से भ्रष्टाचार खत्म करने हेतु विदेशों में जमा काले धन का उपयोग राष्ट्र के विकास में करने की माँग की है।

ब्रिटिश काल से ही नागरिक समाज का एक लंबा इतिहास रहा है। सामाजिक व धार्मिक कार्यकर्ताओं जैसे स्वामी विवेकानन्द, स्वामी दयानन्द, राजा राम मोहनराय, ज्योतिबा फुले, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता थे व जिन्होंने सामाजिक सुधारों हेतु महान् कार्य किए। सभी कालों के महान कार्यकर्ता, राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी, पटेल, बोस व दूसरों के कार्यों को कम करके नहीं आंक सकते जिन्होंने नागरिक समाज को जगाने का काम किया। तभी से हमारा नागरिक समाज आगे बढ़ा व संसार में शक्तिशाली बना। आजकल नागरिक समाज अपनी ताकत का प्रयोग अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययनों को प्रभावित करने में तथा राजनीतिक व मानव अधिकारों को प्रभावित करने में दृढ़ भूमिका

निभा रहा है जो पहले सरकार के एकाधिकार में था। इस सन्दर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय एमनेष्टी, रेड क्रॉस, ग्रीन पीस ताकतवर संगठन हैं। इस प्रकार वर्तमान समय में नागरिक समाज एक सलाहकारी निकाय से प्रभावी निकाय के रूप में परिणत हो गई है।

भारत में और दुनिया के अधिकांश हिस्सों में नागरिकों के स्वतंत्र संघ की एक लंबी और समृद्ध परम्परा है जो पूर्व औपनिवेशिक साम्प्रदायिक समाजों में वापस जाती है। अधिकांश दक्षिण मे, आधुनिकीकरण और उपनिवेशवाद ने स्वदेशी सामाजिक सम्बन्धों को कमजोर कर दिया, जबकि सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप व मध्य एशिया के देशों में ऐसा ही किया। यदि हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के विश्व इतिहास को देखें पाऐंगे कि विभिन्न देशों की सरकारों ने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर वृहद् जिम्मेदारी पूर्ण कार्य किया। फिर भी पिछले तीन दशकों में लोगों का सरकारों से मोहभंग नागरिक समाज के पुनरूत्थान का कारण है।

नागरिक समाज क्या है–

नागरिक समाज वे संगठित समूह एवम् संगठन है जो राज्य से स्वतंत्र हैं, वे स्वैच्छिक, स्व–संचालित एवम् आत्म निर्भर हैं। इनमें गैरसरकारी संगठन, स्वतंत्र मीडिया, विश्वविद्यालय व सामाजिक व धार्मिक समूह शामिल हैं। नागरिक समाजों का हिस्सा बनने के लिए इन समूहों के साथ कुछ शर्तें भी होनी चाहिए। लोकतंत्र में, नागरिक समाज समूहों को कानून का, व्यक्ति के अधिकार का तथा दूसरे समूहों के हितों व राय को अभिव्यक्त करने के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। नागरिक शब्द का अर्थ ही सहनशीलता तथा बहुवाद व विभिन्नता में सामञ्जस्य है।

वर्तमान समय में नागरिक समाज की भूमिका–

नागरिक समाज को एक तीसरे क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। लोकतंत्र को बनाने व मजबूत करने में नागरिक समाज की भूमिका इस प्रकार है–

1. राज्य व बाजार पर इसका सकारात्मक प्रभाव है। इस प्रकार, नागरिक समाज अच्छे शासन के घटक जैसे पारदर्शिता, प्रभाव शीलता, खुलापन, प्रतिक्रियात्मकता व जवाबदेही का महत्त्वपूर्ण एजेंट है।
2. नागरिक समाज असंगठित व मूक समुदायों के हितों को प्रकट करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरे शब्दों में नागरिक समाज, स्थानीय समुदायों को मजबूत करने का काम करता है।
3. नागरिक समाज अच्छे शासन हेतु मार्ग निर्देशक बन सकता है, पहला, नीति विश्लेषण द्वारा और रणनीति को बना कर प्रतिभागी के रूप में। द्वितीय, राज्य के निष्पादन को नियमित व निर्देशित करके तथा लोक अधिकारियों के कार्य व व्यवहार को निर्देशित करके तृतीय, सामाजिक पूँजी के निर्माण व निहित मूल्यों, विश्वासों, नागरिक नियमों व लोकतांत्रिक अभ्यासों में, चौथा, कुछ विशेष क्षेत्रों में, जो समाज का कमजोर व अल्प भाग है, उन्हें राजनीति व आम मामलों में भाग लेने हेतु प्रेरित करना, पाँचवा, स्वयं व दूसरे समुदायों के कल्याण हेतु विकास कार्य करना।
4. नागरिक समाज, राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी भूमिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है।
5. जहाँ भी अधिकारिक गोपनीय कानून लागू है, उन देशों में राज्य की जवाबदेहिता सुनिश्चित करने हेतु पहल के रूप में नागरिक समाज सूचना के अधिकार को सुनिश्चित करता है।
6. समग्र रूप में, नागरिक समाज कानून, मशीनरी व उत्तरदायित्व को निर्देशित करने वाली संस्था है। ये कार्य राजनीतिक दलों, चुनाव प्रक्रिया व स्थानीय निकायों पर नियंत्रण पर भी लागू होते हैं।

भारत में नागरिक समाज की कार्य प्रणाली–

1960 के बाद से राजनीतिक सहभागिता में अनेक परिवर्तन हुए हैं। राजनीतिक परिदृश्य में नए सामाजिक समूह प्रवेश कर गए हैं। उन्होंने राजनीतिक प्रक्रिया को आकार देने हेतु अपने राजनीतिक संसाधनों का प्रयोग किया है। भारत की सामाजिक विरासत के कारण अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग राजनीति से बाहर रहा था, अब वे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में पूर्ण वरीयता के साथ अवसर प्राप्त करने लगा।

पारम्परिक भेद को बढ़ावा देने वाले वर्ग के रूप में जाने जाना वाला महिला व पर्यावरणविद अब एक नए राजनीतिक वर्ग का निर्माण करने लगे। सामाजिक आंदोलनों व स्वैच्छिक संगठनों के विस्तार ने यह दिखा दिया है कि भारतीय राजनीतिक दलों की कठिनाइयों के बावजूद, भारतीय लोकतंत्र में फलने फूलने की प्रवृत्ति रही है। 1970 के प्रारम्भ से सक्रिय कार्यकर्ताओं ने सामाजिक आंदोलनों हेतु व्यापक आधार बनाना प्रारम्भ किया, जिससे उनमें यह समझ विकसित हुई कि वे राजनीतिक दलों व राज्य द्वारा उपेक्षित हैं। संभवतः सबसे शक्तिशाली प्रदर्शन दिल्ली में हुआ किसान आंदोलन था जिसमें कृषिगत जिंसों में बढ़ोतरी एवम् ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश हेतु सरकार पर दबाव बनाया। दलित पैंथर पार्टी के नेतृत्व में अछूतों की पहचान हेतु आंदोलन किया। विभिन्न संगठनों के माध्यम से महिला वर्ग ने भी सम्मेलनों में अपने आपको अभिव्यक्त किया तथा महिला मुद्दों को उठाया। इसी प्रकार, पर्यावरणविदों ने भी सरकार पर दबाव बनाया कि वो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बने तथा विकास की नई अवधारणा विकसित करे जो स्थानीय संस्कृति व पर्यावरण को बनाए रखे।

प्रतिस्पर्धी चुनावी प्रक्रिया, अपेक्षाकृत स्वतंत्र न्यायपालिका, हुड़दंगी मीडिया व विकसित होता हुआ नागरिक समाज, इन सब विशेषताओं के साथ भारत लगातार विकासशील देशों में एक सफल लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ आगे बढ़ रहा है। हालांकि, इस पर दबाव बहुत है। भारत के राजनीतिक दल, जो देश के विविध सामाजिक हितों को इस तरह से एकत्रित कर सकता है जिससे देश के सत्ता की जवाबदेही सुनिश्चित हो सके, एक बड़े संकट में हैं। जहाँ भारत का नागरिक समाज, सामाजिक विविधताओं के साथ गतिक रूप में हैं वहीं भारत में राजनीतिक सत्ता केन्द्रीकरण की ओर बढ़ रही है।

राजनीतिक दलों व सरकारों की उत्तरदायित्वहीनता ने लोगों को छळ व सामाजिक आंदोलनों हेतु प्रेरित किया है। भारत में नागरिक समाज के क्रमिक विकास ने लोगों के राज्य के सत्ता में बदलाव कर कम विश्वास पैदा किया है। इसके बजाए लोगों का भरोसा वैयक्तिक व स्थानीय समुदायों में बढ़ा है। राज्य द्वारा समाज की समस्या सुलझाने की बजाए अब यह जिम्मेदारी इन संगठनों ने ले ली है। स्वतंत्रता के पश्चात् नागरिक समाज का सतत विकास देखा जा सकता है। सुन्दर लाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन, मेधा पारकर का नर्मदा बचाओं आंदोलन तथा केजरीवाल का सूचना का अधिकार आंदोलन इसके उदाहरण हैं। नागरिक समाज आंदोलनों ने कई बहुमुखी प्रोजेक्ट निरस्त करवा कर पर्यावरण की रक्षा की है। स्थानीय स्तर पर भी नागरिक समाज आंदोलनों के सदस्यों ने सतर्क रहकर चिल्का झील, खंधा धार प्रोजेक्ट, ओलिव रिडले कहुए, समुद्र किनारे के तटों का संरक्षण आदि आंदोलन चलाए हैं।

इसी प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में भी जे वी के सम्पूर्ण क्रांति आंदोलन से लेकर अरुणा रॉय व जेन रेज के RTI आंदोलन व नरेगा आंदोलनों तक, नागरिक समाज ने भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया है। हाल ही में हुआ लोकपाल बिल हेतु आंदोलन, इसी क्रम में एक सुनहरा अध्याय लिखता है। भारतीय इतिहास में नागरिक समाज आंदोलन ने प्रथम बार संयुक्त लोकपाल बिल ड्राफ्टिंग कमेटी में पाँच सदस्यों के रूप में बिल बनाने हेतु स्थान प्राप्त किया है। इसी प्रकार, भ्रष्टाचार जैसी बुराई के विरुद्ध प्रथम

बार भारत का मध्यवर्ग अपने आरामदायक घेरे से बाहर निकल कर सामने आया है तथा उसने अपनी आवाज मुखर की है।

निष्कर्ष–

निष्कर्षतः नागरिक समाज, एक उद्देश्य है जिसे प्राप्त करना है, साध्य व साधन है जिसके द्वारा एक ढाँचा तैयार किया जाता है। जब पारस्परिक सहयोग द्वारा एक पारस्परिक समझ से खाका तैयार किया जाता है, तब नागरिक समाज, राजनीतिक व सामाजिक परिवर्तनों हेतु एक वृहद् विचार प्रस्तुत करता है जो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समस्याओं के प्रतिरोधी व वैकल्पिक समाधान हेतु एक व्यावहारिक आकार/ढांचा प्रदान करता है।

वर्तमान समय में नागरिक समाज की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता क्योंकि नागरिक समाज के विभिन्न रूप सक्रिय नागरिक के सामूहिक व रचनात्मक व मूल्य संचालित कोर का प्रदर्शन करते हैं जो हम में से सबसे अच्छे समाज को बनाने के लिए प्रतिक्रिया देने के लिए कहते हैं जो कि सही व स्वतंत्र है। इसीलिए इन दिनों यदि हम राजनीतिक नीतियों या पब्लिक नीतियों की बात करना चाहते हैं तथा किसी सामाजिक परिवर्तन की बात करना चाहते हैं तो 'नागरिक समाज' जैसे जादुई शब्द का जिक्र करना ही होगा।

संदर्भ

1. मक्लेवर, आर. एम. एंड पेज, सी–1–आई, सोसायटीः एन इंटोडक्टरी ऐनालाइसिस (लंदनः मेकमीलन एंड सी ओ–एलटीडी., 1952) पृ. 509
2. दुर्खीन, अरनाइल, दा रूल्स ऑफ सोशियोलाजिकल मैथड् (शिकागोः यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, 1938) पृ. 4
3. दंडवते, मधु, मार्क्स एंड गाँधी (बाम्बे पापुलर ऑफ सोशियोलॉजी प्रकाशन, 1977) पृ. 19–21
4. गिन्सबर्ग मॉरिस, सोशियोलॉजीः स्कोप एंड मैथड् ऑफ सोशियोलॉजी (न्यूयार्कः हाल्ट, 1934) पृ. 125
5. हरिजन, अप्रेल 20, 1940, वोल्यु. VIII पृ. 96
6. यंग इंडिया 30.07.31, वोल्यु. XII पृ. 196
7. सुमन एंड क्वात्राः सत्याग्रह एंड सोशियल चेंज
8. फ्रंटलाइन मैगजीनस
9. दा राइमस ऑफ इंडिया, इंगलिस न्यूजपेपर
10. दा हिन्दू, इंगलिश न्यूजपेपर